

(07)

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector



No. SML-SR (57)/2014 - 1405.

Dated: 21-3-17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-81-46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Sub-Divisional Officer (Civil) Rohru District Shimla for Construction of link road from Ghyan Raika via Kehral (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Jubbal in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-81-46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 1.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)


District Collector
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


WAF


22/3/17

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-03-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Chandpur, forest area(s) 0-81-46 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rohru were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Rohru, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-81-46 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-03-2017


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

A

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-03-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.


All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(Ashu vegi
DPO Rampur)

(Ash
AMIT GUSAMPT
DPO Shimla)

()

(
(Ashu Awasthi))

()

()


()

()

(Anil Kanta
(Z.P.) Anil)

()

()


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

(OFFICE OF THE SDO CIVIL), Rohru
DISTRICT Shimla (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right) Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub-Division level Committee of Rohru Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr. Mr. Anand Dohar, IAS, SDO (Civil)-Rohru on 28/2/12 at 11:30 AM/PM at Rohru (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Saraswati Nagar Gram Sabha, claiming rights Naluan 0.81-46 Hect forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Saraswati Nagar Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	<u>Gram Sabha</u>	<u>Naluan</u>	<u>Go link road from</u>
2	<u>Saraswati Nagar</u> <u>Dev Balok Jhels</u>	<u>0.81-46 Hect</u>	<u>Ghyun Raika via Kehral</u>

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1			
2	<u>No claims received</u>		

OR
As informed by Saraswati Nagar Gram Sabha on application was received claiming rights in Naluan forest area.
0.81-46 Hect

Place: Rohru

Date: 28/2/12

Sub Division Officer
SDO (Civil) Shimla District H.P. Chairperson
Rohru

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

(31)

(24)

(5)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत... सरस्वती नगर
विकास खण्ड... जिला... (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति... श्रीराम...

दिनांक 24/12/2016

समाप्ति... 22/12/18

प्रस्ताव संख्या... (सात)


विषय: प्रधान कैब्राल राईका बोरे... विभाग/संस्था को... सरस्वती नगर
के निर्माण हेतु...
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत... सरस्वती नगर... की बैठक आज
दिनांक 24-12-2016 को 11 वजे, स्थान... सरस्वती नगर
में की गई, जिसमें... विभाग/संस्था
को... के निर्माण हेतु...
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित... हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित... हैक्टेयर वन भूमि को... की सहमति दी जाती है।

स्थान... सरस्वती नगर
दिनांक 24/12/2016



मायक...
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...

9

324

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा चंडखल

प्रतिनिधि प्रस्ताव (2)

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 17/11/2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा चंडखल की बैठक आज
दिनांक 17/11/2016 को 11 बजे चंडखल में

श्री/श्रीमति अरुण कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें नाली वन

..... गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 के अंतर्गत नाली वन जंगल/वन क्षेत्र से संबंधित वन

अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें मि. रोड श्वा, राजी, देहरा

..... के निर्माण के लिए 8-81-46 हैबटेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित
है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा
के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति अरुण कुमार का
जंगल/वन क्षेत्र में नाली वन के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार
सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप
स्वच्छ स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान चंडखल
दिनांक 17/11/2016

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विवाह खण्ड (विभाग)

* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम निर्माण के लिए वन (विस्थापन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।



ग्राम पंचायत सचिव
विवाह खण्ड जुद्धन-बोका

वन अधिकार समिति

3

ग्राम पंचायत मनपुर तहसील मुन्ना जिला शिमला (हि0 प्र0)

विषय:-

जनजातीय कबीलो जनजाती व यनो पर आधारित पारम्परिक लोगो के (वन्य अधिकारो की पहचान) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कमेटी का गठन करने बारे।

आज दिनांक 07/11/2016 को ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति चन्द्रप्र

की बैठक श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें जनजातीय कबीलो Scheduled Tribes तथा अन्य पेशावर लोगो का जिनका पुरतो से जंगल में अपनी अजीविका हेतु निर्वाह किया जा रहा है तथा जो जंगलो में पुरतो से वसोरा कर रहे है के अधिकारो की पहचान वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 6 (1) के तहत चर्चा की गई तथा एक कमेटी गठित की गई ताकि इन लोगो के अधिकारो की पहचान की जा सके व इसमे सरकार की वित्तित रवीकृति प्राप्त करवाई जा सके। उप ग्राम सभा द्वारा चयनित कमेटी के सदस्य का विवरण इस प्रकार से है।

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	गांव	पदनाम	जाति	उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर
1	श्री अरुण कुमार	मुन्ना	अध्यक्ष	सामान्य	<i>[Signature]</i>
2	" जगत राम	मुन्ना	उपाध्यक्ष	अनुजाति	<i>[Signature]</i>
3	" सीम विरमा डी	मुन्ना	सदस्य	"	<i>[Signature]</i>
4	" नारी संगीता	मुन्ना	"	"	<i>[Signature]</i>
5	श्री फिरोज कुमार	मुन्ना	"	"	<i>[Signature]</i>
6	" सपीन्दर सिंह	मुन्ना	"	"	<i>[Signature]</i>
7	" विरेन्द्र सिंह	मुन्ना	"	सामान्य	<i>[Signature]</i>
8	" नति कान्ता डी	मुन्ना	"	अनुजाति	<i>[Signature]</i>
9	" सत्य डी	मुन्ना	"	"	<i>[Signature]</i>
10	श्रीमती सीना	मुन्ना	"	"	<i>[Signature]</i>

सर्व समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो सदस्य

तक प्रस्तावित है जिसमें उक्त क्षेत्र के सभी लाभान्वित व्यक्तियों द्वारा कोई भी

आपत्ति नहीं जताई गई है तथा उक्त सदस्य के निर्माण से किसी भी व्यक्ति के वन अधिकार का हनन नहीं हो रहा

है। अतः इस प्रस्ताव की प्रतिलिपी सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित की जाती है।

[Signature]
संयोजक

[Signature]
संयोजक
जनजातीय अधिकार समिति
मुन्ना तहसील
शिमला जिला (हिमाचल प्रदेश)

[Signature]
प्रधान
वन अधिकार अधिकारी
मुन्ना तहसील
शिमला जिला (हिमाचल प्रदेश)





कार्यालय ग्राम पंचायत सरस्वती नगर

विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रधान

श्री हीरा नन्द

मो०: 98161.47753

सचिव

श्री डी० डी० मूंगटा

मो० 787072.06099

उप-प्रधान

श्री रोहित रावत

मो० 88944.86111

आज दिनांक 24/12/2014 को ग्राम पंचायत सरस्वती नगर की मासिक बैठक / ग्राम सभा बैठक प्रधान / उपप्रधान श्री हीरा नन्द जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपस्थिति 9/928

विषय :-

प्रस्ताव संख्या 30/11

निर्माण रोड ध्यान शर्मा वाया कैहराल का प. 0.00 जमीन करने बारे

यह कि बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उद्घाटन किया गया है कि ग्राम पंचायत सरस्वती नगर के अन्तर्गत निर्माण रोड ध्यान शर्मा वाया कैहराल बनना उद्घाटित जिसने ही पंचायत का और भी उत्थान करेगी है, उम्मीद रोड बननी बाजिये है ताकि लोगों को रोड की सुविधा प्राप्त हो सके।
उद्घाटन पाठ्ये कीकार वी



मायवे
ग्राम पंचायत सरस्वती नगर
हि० प्र० २४० जुब्बल